बेटी को जला डालने वाले पिता व पुत्र को आजीवन जेल

चौथा संसार

खंडवा, (निप्र)। प्रेम प्रसंग में अपने पिता व भाई द्वारा केरोसीन डालकर मृतिका की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन कारावास हुआ है। मामला खतरनाथ था। पुत्री व बहन की केरोसीन डालकर माचिस से आग लगाकर हत्या कर दी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद जिला खण्डवा की न्यायालय ने आरोपी राजेन्द्र पिता सुंदरलाल, 29 वर्ष व सुंदरलाल पिता गुलजार 62, दोनों निवासी ग्राम चैनपुर तहसील हरसूद जिला खण्डवा को यह सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान द्वारा किया गया। जाहिद खान एडीपीओ ने बताया कि चैनपुर में आरोपीगण सुंदरलाल की पुत्री मृतिका अपने पड़ोसी राजकुमार से प्रेम करती थी। विवाह करना चाहती थीं। एक दिन लक्ष्मी राजकुमार के घर गई तथा राजकुमार की मां सुशीला बाई से कहा कि उसकी राजकुमार से कोर्ट मैरिज करवा दो। उसी समय लक्ष्मी के पिता सुंदरलाल और भाई राजेन्द्र आए। लक्ष्मी को हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसके पुराने वाले घर के पास ले गये । राजेन्द्र ने लक्ष्मी के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। सुंदरलाल उसके घर के अन्दर जाकर कुप्पी से केरोसीन लाया। लक्ष्मी के सिर पर केरोसीन डाल दिया। सुंदरलाल ने माचिरा की तिली जलाकर माचिस से आग लगा दी। कोटवार द्वारा देहाती नालसी खालवा थाने पर लेखबद्ध करवाई थी।